परिशिष्ट का प्रपत्र

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1582 के प्रश्नांश 'ग' की जानकारी

बैठक दिनांक 22.07.2016 सदस्य पं. रमेश दुबे

सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चौरई जिला छिंदवाड़ा के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

1. प्रश्नकर्ता विधायक विधानसभा क्षेत्र चौरई के पत्र क्रमांक 430/निजसहायक/2016, चौरई दिनांक 02.04.2016 जो कि माननीय कलेक्टर महोदय को संबोधित है जो जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा को प्राप्त होने के पूर्व ही बैंक द्वारा पूर्व में अन्य शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई :-

   अ) सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चौरई में रासायनिक खाद, बीज के वितरण में की गई हेराफेरी की विस्तृत जांच हेतु बैंक द्वारा पत्र क्रमांक 3361/स्थापना/सीबी/2016, दिनांक 19.02.2016 से जांच दल का गठन किया गया है।

   ब) बैंक आदेश क्रमांक 3660/संवर्ग/सीबी/2016, दिनांक 28.03.2016 से श्री मजहर खान, समिति प्रबंधक को बैंक प्रधान कार्यालय छिन्दवाड़ा में संलग्न किया जाकर श्री रामबाण शर्मा, सहायक समिति सेवक, सेवा सहकारी समिति देवरी शाखा चौरई को सेवा सहकारी समिति मर्या. चौरई का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया है ।

2. प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र क्रमांक 709 एवं 710/निजसहायक/2016, चौरई दिनांक 27.05.2016 एवं पत्र क्रमांक 708 दिनांक 27.05.2016 जो कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा से प्राप्त हुआ है जिसमे समिति प्रबंधक द्वारा रासायनिक खाद वितरण में की गई अनियमितताओं की शिकायत दो कृषक सदस्यो से प्राप्त हुई थी, उक्त पत्रों में उल्लेखित शिकायत की जॉच हेतु बैंक द्वारा पत्र क्रमांक/430/स्थापना/सीबी/2016 छिन्दवाड़ा दिनांक 03.06.2016 से प्रभारी शाखा प्रबंधक बैंक शाखा चौरई को निर्देशित किया जाकर जांच करवायी गई है ।

3. प्रश्नकर्ता विधायक विधानसभा क्षेत्र चौरई के पत्र क्रमांक 771/निजसहायक/2016, चौरई दिनांक 04.06.2016 जिसमें समिति प्रबंधक द्वारा रासायनिक खाद वितरण में की गई अनियमितताओं की शिकायत एक कृषक सदस्य से प्राप्त हुई थी , शिकायत की जांच हेतु जांच दल प्रभारी एवं प्रशाप्र शाखा उभेगांव को पत्र क्रमांक 467/स्थापना/सीबी/2016, छिन्दवाड़ा दिनांक 09.06.2016 से जांच हेतु प्रेषित किया जाकर जांच करवायी गई है।

4. कृषक सदस्यों की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात श्री मजहर खान को बैंक आदेश क्रमांक 305/संवर्ग/सीबी/2016, छिन्दवाड़ा दिनांक 19.05.2016 से निलंबित किया गया है।

   प्रकरण की जांच हेतु गठित जांच दल द्वारा शिकायतकर्ताओं को समक्ष में उपस्थित कराया जाकर प्रत्येक शिकायतकर्ता के लिखित बयान एवं समिति का रिकार्ड आदि का अवलोकन किया जाकर जांच प्रतिवेदन में पाए गए निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :-

16 कृषक सदस्यों द्वारा रासायनिक खाद वितरण के संबंध में शिकायत की गई थी, जिसमें से 02 कृषक सदस्यों द्वारा ऋण से संतुष्ट होने पर ऋण राशि जमा की जा चुकी है शेष 14 कृषक सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

अ) समिति प्रबंधक द्वारा 06 परमिटों पर हस्ताक्षर किये गये है एवं 08 परमिटों पर नहीं किये गये है । समिति अध्यक्ष द्वारा परमिटों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है ।

ब) उपरोक्त में से समिति प्रबधंक द्वारा 01 कृषक के दो परमिट काटे गये है एवं एक परमिट पर खाद प्रदाय की गई है , परन्तु दूसरे परमिट पर खाद प्रदाय नहीं की गई है ।

स) उपरोक्त में से 03 कृषक सदस्यों को परमिट पर दर्ज खाद की पूर्ण खाद प्रदाय न कर आधी अधूरी खाद का प्रदाय किया गया है । परमिट पर पावती में किसी भी कृषक सदस्य के हस्ताक्षर भी नहीं है ।

द) सेवा सहकारी समिति चौरई में 14 कृषक सदस्यों को रासायनिक खाद वितरण में समिति प्रबंधक श्री मजहर खान, द्वारा राशि रूपये 370395.74 पैसे (तीन लाख सत्तर हजार तीन सौ पंचानबे रूपये चौहत्तर पैसे) की वित्तीय अनियमितताएं किया जाना पाया गया ।

बैंक द्वारा पत्र कमांक 601/स्थापना/सीबी/2016, दिनांक 30.06.2016 से जांच प्रतिवेदन की मूल प्रति मय दस्तावेजों के प्रशासक समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्या. चौरई को जांच प्रतिवेदन में दोषी पाए गए कर्मचारी श्री मजहर खान, निलंबित समिति प्रबधंक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही (पुलिस प्राथमिकी) हेतु निर्देशित किया गया है ।

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

अपर आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.